राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 00250/2023

डॉ. निखिल शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनियारा, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2023
आदेश की दिनांक : 02.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौरू, टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचाला, टोंक में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी का कथन है उनका स्थानान्तरण असक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 10.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को

चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौरू, टोंक में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चौरू, टोंक में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 04.01.2023 (अनुलग्नक–1) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को फार्मासिस्ट श्री कमल कुमार नागर के द्वारा की गई शिकायत की जांच पूर्ण होने तक उन्हें कार्यालय सी.एम.एच.ओ., टोंक में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया और आदेश दिनांक 10.01.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को अग्रिम आदेशों तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवली गांव में ड्यूटी लगाई गई है। इस प्रकार यह कहना गलत है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और

अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)	**(शुचि शर्मा)**
सदस्य	**सदस्य**